

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO.373**

**TO BE ANSWERED ON THE 1<sup>ST</sup> DECEMBER, 2021/ 10 AGRAHAYANA, 1943 (SAKA)**

**SHORTAGE OF FUNDS FOR SECURITY FORCES**

**373. DR. KIRODI LAL MEENA:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether Government is aware of the fact that some security forces, paramilitary forces and investigative agencies, etc. are facing shortage of funds for their day-to-day activities like ration allowances, etc;**

**(b) if so, the details thereof and the steps being taken by Government in this regard;**

**(c) whether Government is considering to provide paramilitary forces leave and transfer benefit to their home States, if so, the details thereof; and**

**(d) if not, the reasons therefor?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI NITYANAND RAI)**

**(a): There is no shortage of funds in Central Armed Police Forces (CAPFs)/Paramilitary Forces and Investigative Agencies for their day to day activities.**

**(b): Question does not arise.**

**(c)&(d): Leave and transfer benefits to the Central Armed Police Forces (CAPFs)/Paramilitary Forces personnel are being regulated in accordance with the extant leave rules and transfer policy of the respective Forces.**

**\*\*\*\*\***

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 373

दिनांक 01.12.2021/ 10 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

सुरक्षा बलों के लिए निधियों की कमी

373# डा. किरोड़ी लाल मीणा

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ सुरक्षा बल, अर्ध सैनिक बल और जांच एजेंसियों आदि राशन भत्ते आदि जैसी अपनी दिन - प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए निधि की कमी का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार अर्धसैनिक बलों को उनके गृह राज्यों के लिए अवकाश और स्थानान्तरण लाभ देने का विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस)/अर्धसैनिक बलों और जांच एजेंसियों के पास उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस)/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के अवकाश और स्थानांतरण लाभों को संबंधित बलों के मौजूदा अवकाश नियमों और स्थानांतरण नीति के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*